पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जुलाई, 2023 ई0 (आषाढ़ 24, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–28

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	575–581	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	265–273	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	455–456	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

03 जुलाई, 2023 ई0

संख्या 986 / XXXI(1)/2023/पदो0–01 / 2021–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती सुनीता कण्डारी को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान– ₹ 56100–177,500 (लेवल–10) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती सुनीता कण्डारी, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती सुनीता कण्डारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर राजस्व अनुभाग–01 में तैनात किया जाता है।

5– श्रीमती सुनीता कण्डारी, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना / प्रकीर्ण

03 जुलाई, 2023 ई0

संख्या I/134352/VI/2023–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड फुट लॉच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

उत्तराखण्ड फुट लॉच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड फुट लॉच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में पैराग्लाइडिंग एयरो स्पोर्ट तक सीमित होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड फुट लॉच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) नियमावली, 2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) के नियम–2 में

(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"(च) अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का "अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी" अभिप्रेत है;	"(च) अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी "साहसिक विंग" अभिप्रेत है;

(ii) खण्ड (न) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :

"(प) 'विहित प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का "जिला पर्यटन विकास अधिकारी" अभिप्रेत है।'

नियम 4 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:

	स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2)	आवेदन पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् इन्हें (जैसा अध्याय चार (9) में वर्णित है) तकनीकी समिति जो (गठित की जायेगी), के समक्ष रखे जायेगें, जो अभिलेखों, उपकरणों की संवीक्षा/ निरीक्षण के प्रायोगिक/ शारीरिक परीक्षण संचालन तथा गाइड हेतु प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त से पूर्व समय और स्थान निश्चित करेगा। आवेदक का आवेदन मंजूर होने पर उसे ऑपरेटर अनुज्ञा निर्गत की जायेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।	(2) आवेदन पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् इन्हें (जैसा नियम–9 में वर्णित है) तकनीकी समिति जो (गठित की जायेगी), के समक्ष रखे जायेगें, जो अभिलेखों, उपकरणों की संवीक्षा/ निरीक्षण के प्रायोगिक/ शारीरिक परीक्षण संचालन तथा पायलट हेतु प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त के पश्चात् समय और स्थान निश्चित करेगा। आवेदक का आवेदन मंजूर होने पर उस ऑपरेटर को 01 माह के अन्तर्गत अनुज्ञा निर्गत की जायेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

नियम 18 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
"(3) टेंडेम पायलट ने न्यूनतम 50 किमी0 की हवाई दूरी तय की हो, इन उड़ानों के डिजिटल लॉग अथवा फिजिकल लॉग में टेंडेम पायलट का नाम होना अनिवार्य होगा।	"(3) टेंडेम पायलट ने न्यूनतम 35 किमी0 की हवाई दूरी तय की हो, इस उड़ान का डिजिटल लॉग में टेंडेम पायलट का नाम होना अनिवार्य है।

नियम 19 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) आवेदक को न्यूनतम 50 किमी0 की हवाई दूरी तय की हो। इन उड़ान के डिजिटल लॉग अथवा फिजिकल लॉग पुस्तिका में आवेदक का नाम होना अनिवार्य होगा।	(3) आवेदक ने न्यूनतम 35 किमी0 की हवाई दूरी तय की हो। इस उड़ान का डिजिटल लॉग में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है।

नियम 21 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
21(1) यदि कोई ऑपरेटर बिना अनुमति के पैराग्लाइडिंग गतिविधियां करते हुये पाया जाता है या पायलट या यात्री बिना जूतों के उडान भरता हुआ पाया जाता है और यदि कोई पायलेट या यात्री बिना हेलमेट के उड़ान भरता हुआ पाया जाता है तथा यदि उपकरण बुरे आकार में क्षतिग्रस्त/उड़ान योग्यता के प्रमाण पत्र के	21(1) यदि कोई ऑपरेटर बिना अनुमति के पैराग्लाइडिंग गतिविधियां करते हुए पाया जाता है अथवा यदि पायलट/यात्री बिना जूते और हेलमेट के उड़ान भरता हुआ पाया जाता है अथवा उपकरण क्षतिग्रस्त/खराब स्थिति में पाये जाते है अथवा उड़ान योग्यता के प्रमाण–पत्र के बिना पाया जाता है अथवा एक समय में 02 यात्री एक हार्नेस का प्रयोग करते पाये जाने पर ऑपरेटर पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जायेंगी:–

बिना पाया जाता है एवं एक समय में दो व्यक्तियों के लिये उपकरण का प्रयोग करने पर ऑपरेटर/अनुज्ञाधारक की अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जायेगा।	(क) बिना परमिट के पैराग्लाइडिंग गतिविधि करता पाया तो रू0 50,000/– जुर्माना। (ख) यदि कोई पायलट/यात्री बिना हेलमेट के उड़ान भरता पाया जाता हैं तो रू0 5,000/– का जुर्माना। (ग) यदि कोई पायलट/यात्री बिना जूतों के उड़ान भरता पाया जाता है तो रू0 5,000/– जुर्माना। (घ) यदि उपकरण खराब स्थिति/क्षतिग्रस्त/उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र के बिना पाया जाते हैं तो रू0 5,000/–का जुर्माना। (ड.) यदि 02 यात्रियों के लिये एक समय में एक हार्नेस का प्रयोग करते हुये पाया जाता है, तो रू0 10,000/– का जुर्माना। (च) नियमों के उल्लंघन के लिए शास्तिः– इस नियमावली के अधीन उचित रजिस्ट्रीकरण के बिना या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में टेंडेम पैराग्लाइडिंग में लगा कोई व्यक्ति यदि इस उपनियम के खण्ड (क) से (ड.) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी द्वारा जुर्माने से दण्डनीय किया जायेगा। (छ) शास्तियों की वसूली :– इस धारा के अधीन लगाए गये जुर्माना का भुगतान न किये जाने की दशा में इसकी वसूली भू–राजस्व अधिनियम में निहित उपबन्धों के अधीन की जाएगी।

टिप्पणीः–इस नियमावली के नियम 18(3) व 19(3) में वर्णित अर्हता प्राप्त किये जाने हेतु टेंडेम पायलट/अनुदेशक को मात्र एक बार के लिए इस संशोधन की तिथि से 30 जून, 2023 तक के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति प्रदान की जायेगी।

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे,
सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

05 जुलाई, 2023 ई0

संख्या 06/नो0एफ0/XXXVI-A-1/2023–01 नो0एफ0/2003–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनोज कप्रवाण, अधिवक्ता को दिनांक 05–07–2023 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय रूद्रप्रयाग में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मनोज कप्रवाण का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

नरेन्द्र दत्त,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 06/No-F/XXXVI-A-1/ 2023-01 No.-F/2003 Dated- July 05, 2023.

NOTIFICATION

Appointment

July 05, 2023

No. 06/No-F/XXXVI-A-1/2023-01 No.-F/2003--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Manoj Kaprawan, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 05-07-2023 for District Headquater Rudraprayag and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Manoj Kaprawan be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

NARENDRA DUTT,

Secretary, Law-cum-L.R.

खेलकूद अनुभाग

कार्यालय आदेश

03 जुलाई, 2023 ई0

संख्या 523/VI-3/2023–01(15)/2007–"उ0प्र0 खेलकूद निदेशालय" (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1986 एवं यथा–संशोधित नियमावली, 1988 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं 'विभागीय पदोन्नति समिति' की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती रशिका सिद्दीकी, जिला क्रीड़ा अधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से सहायक निदेशक, खेल, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे 5400 (वेतन लेवल 10 रू0 56100–177500) के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए खेल निदेशालय में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– श्रीमती रशिका सिद्दीकी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3– उक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

त्यागपत्र स्वीकृति

30 जून, 2023 ई0

संख्या 133738/XXVIII-1/(E-55115)–एतद्द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2प/रा0पु0/117/2018/18308, दिनांक 16 मई 2023 के क्रम में डा0 करन वीर सिंह, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप–बी, पाटीसैंण, जनपद पौड़ी गढ़वाल के सेवा से त्याग–पत्र प्रेषित करने के आवेदन के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 करन वीर सिंह, का त्याग–पत्र दिनांक 30.06.2021 से स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमनदीप कौर,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/271–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जुलाई, 2023 ई0 (आषाढ़ 24, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 14, 2023

No. 265/UHC/Admin.A/2023-

"Standard Operating Procedure for the Investigation Section of the Vigilance Cell, High Court of Uttarakhand"

The High Court of Uttarakhand Vigilance Rules, 2019, as amended vide Notification No. 250/UHC/Admin.A/2023 Dated 06 June, 2023 (As approved by the Government of Uttarakhand vide letter no. 173/XXXVI-A-1/2023-345/2019 Nyay Anubhag-1 Dehradun: Dated 24.05.2023), provides for the establishment of an Investigation Section in the Vigilance Cell.

Composition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, as provided in Rule 6 is as under:

1. *One Vigilance Officer (of SSP/SP level, on deputation from police department, having minimum 8 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID.*
2. *Two Inspectors of Police having minimum 15 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti-corruption work/CID. One may have considerable service in Garhwal Region and another in Kumaon Region.*
3. *One Head Constable having minimum 10 years of service.*
4. *Three Constables with minimum 5 years of service.*

With regard to the working of Investigation Section of the Vigilance Cell, following Standard Operating Procedure is being laid down. The Police Personnel working in the Investigation Section, shall scrupulously follow the Standard Operating Procedure.

(A) Subject to written orders issued by Hon'ble the Chief Justice generally or in a specific case, the Police Personnel deputed in the Investigation Section shall work within the scope as provided under this SOP.

(B) Subject to general supervision of Hon'ble the Chief Justice, the Investigation Section shall work under the direct control of Registrar Vigilance, High Court of Uttarakhand.

(C) Investigation Section shall carry-out its activities only on the directions issued by the Registrar Vigilance, which shall be issued in writing.

(D) If in any specific case, it would not be feasible to issue written directions forthwith, directions issued shall be reduced into writing at the earliest and shall be brought to the notice of Hon'ble the Chief Justice.

(E) On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all communication/correspondence with any Judicial Officer of the State Judiciary in relation with any matter with the Vigilance Cell, shall be made by the Registrar Vigilance.

(F) Police Personnel deputed in the Investigation Section shall not make any direct communication/correspondence to any Judicial Officer.

(G) On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all communication/correspondence with the District Judges in relation to any matter with the Vigilance Cell, to seek any information/document relating to an officer, shall be made by the Registrar Vigilance.

(H) Police Personnel deputed in the Investigation Section can make direct communication/correspondence with regard to any matter pending with the Vigilance Cell with other departments/offices, after bringing it to the notice of the Registrar Vigilance.

(I) In course of any Vigilance matter, statement of any Judicial Officer, if required, shall be recorded in presence of the Registrar Vigilance.

By Orders of Hon'ble Court,

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar General.

NOTIFICATION

June 12, 2023

No. 262/XIV/55/Admin.A/2003--Shri Nitin Sharma, Principal Judge, Family Court, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 18.05.2023 to 24.05.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

June 21, 2023

No. 271/UHC/Admin.A/2023--In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, High Court of Uttarakhand with the approval of the Governor, hereby amends 'Part-II: Supply of Documents' of "The Uttarakhand Criminal Courts Procedure and Practice Rules, 2021" as under:

Existing Rule	Amended Rule
3. Every accused shall be supplied with statements of witness recorded under Section 161 and 164 of the Code and a list of documents, material objects and exhibits seized during investigation and relied upon by the Investigating Officer (IO) in accordance with Sections 207 and 208 of the Code. *Explanation:* The list of statements, documents, material objects and exhibits shall specify statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the Investigating Officer.	3. Every accused shall be supplied with statements of witness recorded under Section 161 and 164 of the Code and a list of documents, material objects and exhibits seized during investigation and relied upon by the Investigating Officer (IO) in accordance with Section 207 and 208 of the Code **and not before this stage. Concerned Judicial Magistrate shall direct the I.O. of the case that he shall not disclose the contents of the statement recorded under Section 164 Cr.P.C. to anyone.** **Explanation 1: In case of electronic record involving issues such as of privacy of the complainant / witness or his/her identity, the Court may be justified in providing only inspection thereof to the accused and his/her lawyer or expert for presenting effective defence during the trial. The Court may issue suitable directions to balance the interests of both sides.** **Explanation 2:** The list of statements, documents, material objects and exhibits shall specify statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the Investigating Officer.

These amendments shall come into force with immediate effect.

By Order of theCourt,
Sd/-
ANUJ KUMAR SANGAL,
Registrar General.

NOTIFICATION

June 21, 2023

No. 272/XIV/a-29/Admin.A/2021--Shri Adarsh Kumar Tripathi, Civil Judge (Jr. Div.), Bhikyasen, District Almora, is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 27.05.2023 to 09.06.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

June 21, 2023

No. 273/XIV/a-32/Admin.A/2017--Shri Bhupendra Singh Shah, Assistant Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 30.05.2023 to 13.06.2023.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

June 21, 2023

No. 274/XIV/a-39/Admin.A/2009--Ms. Jyotsna, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 06.05.2023 to 19.05.2023 with permission to prefix 05.05.2023 as Buddha Purnima holiday.

NOTIFICATION

June 21, 2023

No. 276/XIV-72/Admin.A/2003--Shri Brijendra Singh, the then 1st Additional District & Sessions Judge, Dehradun presently posted as Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 32 days w.e.f. 09.03.2023 to 09.04.2023.

NOTIFICATION

June 26, 2023

No. 277/XIV-a-53/Admin.A/2015--Ms. Suman, 8th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 30 days w.e.f. 15.05.2023 to 13.06.2023.

NOTIFICATION

June 26, 2023

No. 278/XIV-a-43/Admin.A/2020--Shri Shrey Gupta, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 01.05.2023 to 05.05.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

12th June, 2023

No. 2936/UHC/Admin.A/2023--Certified that the Charge of Office of the Head Bench Secretary in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of June 12th 2023, pursuant to Notification No. 248/UHC/Admin.A/2023 Dated: 05.06.2023 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

MADAN MOHAN BIJALWAN,

Relieving Officer.

Countersigned

ANUJ KUMAR SANGAL,

Registrar General.

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून

आदेश

28 जून, 2023 ई0

संख्या : एसपीटी–आर–(गति सीमा)/2023–

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा–116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम–180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में पुलिस, परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की समिति द्वारा जनपद के विभिन्न मार्गों पर गति सीमा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव के क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम–180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देहरादून जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों के मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	वाहन का प्रकार			
		तिपहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	दुपहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	हल्का चार पहिया वाहन की अधिकतम गति सीमा	मध्यम/भारी वाहन की अधिकतम गति सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	घण्टाघर से आरटीओ–डायवर्जन	30	30	30	20
2.	डायवर्जन से मालसी–कुठालगेट–शहंशाही– राजपुर	25	30	30	20
3.	डायवर्जन से राजपुर	30	30	30	20
4.	सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से राजपुर रोड़ मसूरी बाईपास	30	30	30	20
5.	सर्वे चौक से रायपुर	30	30	30	20
6.	बेनी बाजार, ई0सी0 रोड़–आराघर–धर्मपुर–रिस्पना–जोगीवाला	30	30	30	20
7.	रिस्पना से हरिद्वार बाईपास–आईएसबीटी	30	30	30	20
8.	आई0एस0बी0टी0 से ट्रांसपोर्ट नगर	30	30	30	20
9.	आई0एस0बी0टी0 से शिमला बाईपास चौक	30	30	30	20
10.	आराघर से प्रिंस चौक	30	30	30	20
11.	प्रिंस चौक से सहारपुर चौक–पटेलनगर–शिमला बाईपास	30	30	30	20
12.	शिमलाबाईपास चौक से डाटकाली	30	40	50	30
13.	घंटाघर से चकराता रोड़–बिन्दाल–बल्लूपुर– प्रेमनगर	30	30	30	20
14.	प्रेमनगर से सुद्धोवाला	25	40	50	30
15.	धर्मपुर चौक से मातामंदिर बाईपास चौक	30	30	30	20
16.	रेस्ट कैम्प से बन्नू स्कूल से अग्रवाल बैकरी	30	30	30	20
17.	जोगीवाला चौक से रिंग रोड़ लाडपुर	30	30	30	20
18.	बल्लूपुर चौक से जी0एम0एस0 रोड़–कमला पैलेस–सेंट ज्यूड–ट्रांसपोर्ट नगर	30	30	30	20
19.	आई0एस0बी0टी0 से शिमला बाईपास– धर्मावाला–पौंटा मार्ग	25	30	30	20
20.	ग्रेट वैल्यू से कैनाल रोड़ सहस्त्रधारा बाईपास	30	30	30	20
21.	नेहरू कॉलोनी से 06 नंबर पुलिया, किद्दूवाला,रायपुर	30	30	30	20
22.	रेसकोर्स चौक से पुलिस लाईन, धर्मपुर	30	30	30	20
23.	बसंत विहार–सीमाद्वार	30	30	30	20
24.	मोहकमपुर से लाल तप्पड़	30	60	80	60

25.	लाल तप्पड़ फनवैली से पुलिस चौकी तक	30	40	60	40
26.	लाल तप्पड़ से आगे छिद्दरवाला तक	30	60	80	60
27.	छिद्दरवाला बाजार	30	40	60	40
28.	छिद्दरवाला से नेपालीफार्म–रायवाला	30	60	80	60
29.	रायवाला बाजार	30	40	60	40
30.	भानियावाला से जौलीग्रान्ट, रानीपोखरी–डांडी तक	30	40	60	40
31.	रायपुर से मालदेवता	20	30	30	20
32.	कारगी चौक से इन्द्रेश हॉस्पिटल लाल पुल	30	30	30	20
33.	श्यामपुर से कोयलघाटी तिराहा	25	40	50	40
34.	नटराज से श्यामपुर तिराहा	25	40	40	30
35.	कोयलघाटी से आईडीपीएल एम्स हॉस्पिटल	25	40	40	30
36.	कोयलघाटी से मुनी की रेती	25	30	40	20
37.	नटराज से भद्रकाली–खारा स्रोत लक्ष्मणझूला तिराहा	25	30	30	20
38.	दिलाराम से हाथीबड़कला–अनारवाला–गुच्छूपानी–जोहड़ी–गुनियालगांव–मालसी	20	30	30	20
39.	सनपार्क चौराहा से आईटीबीपी सीमाद्वार	20	25	30	20
40.	कांवली रोड़ से पंडितवाड़ी	20	25	30	20
41.	रिस्पना से एमडीडीए– सचिवालय कॉलोनी–दून विश्वविद्यालय–मोथरोवाला	20	25	30	20
42.	टर्नर रोड़ एवं सुभाष रोड़	20	25	30	20
43.	सहारनपुर रोड़ से चन्द्रबनी–चोयला	20	25	30	20
44.	मिंयावाला चौक से बालावाला–गुलरघाटी	20	25	30	20
45.	मिंयावाला से तुनवाला–रायपुर	20	30	30	20
46.	रायपुर–नथुवावाला	20	30	30	20
47.	ऋषिकेश नटराज चौक से त्रिवेणीघाट चौराहा	20	30	30	20
48.	घंटाघर से प्रिंस चौक	20	30	30	20
49.	किशननगर चौक से कौलागढ़	20	30	30	20
50.	बल्लूपुर चौक से गढ़ीकैन्ट थाना	25	40	40	20
51.	नालापानी से आमवाला	20	30	30	20
52.	आईटी पार्क से ननूरखेड़ा–आमवाला रायपुर रोड़	20	30	30	20

53.	कुठालगेट से मसूरी	30	30	40	30
54.	सुद्धोवाला से विकासनगर	30	40	50	30
55.	विकासनगर से कालसी	30	30	40	30
56.	भोगपुर से इठारना	25	30	40	20
57.	रानीपोखरी से भोगपुर	25	40	40	30
58.	डांडी से नजटराज चौक	25	40	40	30
59.	सात मोड़ क्षेत्र	20	25	30	20
60.	नंदा की चौकी से पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी बिधोली	25	40	40	30
61.	शिमला बाईपास से सेलाकुई	30	30	40	30
62.	हरबटपुर से धर्मावाला–दररिट	30	30	40	30
63.	हरबटपुर से कुल्हाल वाया ढकरानी	30	30	40	30
64.	एसडीआरएफ तिराहा भानियावाला से थानो	20	25	30	20
65.	हर्रावाला से नेपालीफार्म	30	60	80	60
66.	नेपालीफार्म से रायवाला	30	60	80	60
67.	रायपुर से थानो–भोगपुर	25	40	40	30
68.	कुल्हाल–डाकपत्थर–बाड़वाला	20	25	30	20
69.	बरोटीवाला–विकासनगर	25	40	40	25
70.	बरोटीवाला–अम्बाड़ी	25	40	40	20
71.	बाईपास–मोथरोवाला–दूधली–डोईवाला	25	40	40	30
72.	सेलाकुई–भाउवाला	25	40	40	20
73.	सुद्धोवाला–भाउवाला	25	40	40	20
74.	भानियावाला से डोईवाला	25	40	40	30

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा :

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा –

(अ) अग्निशमन वाहन।

(ब) एम्बुलेंस।

(स) पुलिस वाहन।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक–2 में उल्लिखित मार्गों/स्थानों को छोड़कर जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

ह0 (अस्पष्ट)
पुलिस उप महानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/271–भाग 1–क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जुलाई, 2023 ई0 (आषाढ़ 24, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम मेहरबान पुत्र इददू हसन दर्ज है, एवं कुछ अभिलेखों में मेरा नाम मेहरबान अली पुत्र इददू हसन दर्ज है, दोनो नाम मेहरबान अली एवं मेहरबान पुत्र इददू हसन एक ही व्यक्ति के है। भविष्य में मुझे मेहरबान अली पुत्र इददू हसन नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मेहरबान अली पुत्र इददू हसन
निवासी मौहल्ला बाहरी किला लन्ढौरा
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

It is for the gernral information that I, Jiwan Lal S/o Late Shri Shiru Daas, R/o 23-A Near Arya Samaj Mańdir, Dhurwapur, Kotdwara, Pauri, Garhwal, Uttarakhand 246149. states that my name in Pancard bearing No. ADXPL3550E is wrongly written as Jeevan Lal Shyam Lal instead of Jiwen Lal. That my correct Name is Jiwan Lal

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Jiwan Lal S/o Late Shri Shiru Daas,
R/o 23-A Near Arya Samaj Mandir,
Dhurwapur, Kotdwara, Pauri, Garhwal,
Uttarakhand 246149.

सूचना

मेरी जीवन बीमा पालिसी संख्या 273776313 मैं मेरा नाम मौ. एजाज दर्ज है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मौ. आजाद दर्ज हैं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है अब मुझे मौ0 आजाद पुत्र मौ. रशीद निवासी 84/3 मरगूबपुर दीदाहेडी तहसील रूडकी के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मौ0 आजाद पुत्र मौ. रशीद
निवासी 84/3 मरगूबपुर दीदाहेडी
तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/271—भाग 8—2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।